

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 488]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 14 नवम्बर 2011—कार्तिक 23, शक 1933

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2011

क्र. एफ-1-4-2011-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची में, शीर्षक—“सात—राजस्व विभाग” के अधीन, भाग (इ) में, अनुक्रमांक 6 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टि जोड़ी जाए, अर्थात् :—

“7. प्रमुख राजस्व आयुक्त.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2011

क्र. एफ-1-4-2011-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-1-4-2011-एक (1), दिनांक 14 नवम्बर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 14th November 2011

No. F.1-4-1-2011-One-(1).—In exercise of the powers conferred by Clauses (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following further amendment in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in the Schedule—under the heading “ VII—Revenue Department,” in Part (c), after serial number 6 and entry relating thereto, the following serial number and entry relating thereto shall be added namely:—

“ 7. Chief Revenue Commissioner.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. R.VISHWAKARMA, Dy. Secy.